

By Fax/Speed Post

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

No.23/MP/2012

984

Dated : 19<sup>th</sup> September, 2011

To

The Chief Electoral Officer,  
Madhya Pradesh,  
Bhopal.

Subject:-Special Revision of Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2012 as the qualifying date- revised schedule-regarding.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 1/2012/3/4519, dated 15<sup>th</sup> September, 2011 on the above subject and to state that the Commission has approved your proposal for revised schedule for special revision of electoral rolls w.r.t. 01.01.2012 as made therein. The approved revised schedule is as under: -

Sl.No	PRE REVISION ACTIVITIES	TIME FRAME
1	2	3
(i)	Updation of Control Tables (including polling station Updation) & database	By 05.10.2011 (Wednesday)
)	Preparation of supplement of continuous revision and integration of rolls	By 07.10. 2011 (Friday)
i)	Providing of the electors information in Format 1-8	By 07.10.2011 (Friday)

Schedule of revision:-

Sl. No.	Stages of Revision	Period allowed for stage
(1)	(2)	(3)
1.	Draft publication of Rolls	10.10.2011 (Monday)
2.	Period for filing of claims and objections	From 10.10.2011 (Monday) 01.11.2011 (Tuesday)
3.	Reading of relevant part/section of photo	11.10.2011(Tuesday) and

	<b>electoral rolls</b> in Gram Sabha/Local bodies and RWA meeting etc & verification of names	15.10.2011 (Saturday)
4.	Special campaign dates with Booth Level Agents of political parties for receiving claims and objections	16.10.2011 (Sunday) and 23.10.2011 (Sunday)
5.	Disposal of claims and objections	By 01.12.2011 (Thursday)
6.	Updating the database, merging of photographs updating the control Tables and preparation and Printing of supplementary list	By 1.12.2011 (Thursday) to 31.12.2011 (Saturday)
7.	Final Publication of Electoral Rolls	5.01.2012 (Thursday)

Yours faithfully,

*P N LAKRA*

(P N LAKRA)  
UNDER SECRETARY

## प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में दावे/आपत्ति प्राप्त करने की अवधि दिनांक 10.10.2011 से 01.11.2011 निर्धारित की गई थी । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु दावे/आपत्तियां संबंधित मतदान केन्द्र में प्राप्त करने की अवधि बढ़ाकर दिनांक 15.11.2011 तक कर दी गई है । बढ़ाई गई अवधि में ऐसे पात्र मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए हैं, वे अपने आवेदन पत्र संबंधित मतदान केन्द्र में नियुक्त बी.एल.ओ. को उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस कार्यालय की वेबसाइट [www.ceomadhyapradesh.nic.in](http://www.ceomadhyapradesh.nic.in) पर e-registration की सुविधा का उपयोग कर पात्र मतदाता अपना आवेदन पत्र भर सकेंगे ।

शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी, 2012 को होगा ।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 10/2012/3/ 5298  
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक 31-10-2011

1. आयुक्त, जनसम्पर्क, म.प्र. को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित समाचार के रूप में स्थानीय समाचार के प्रकाशनार्थ ।
2. केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, श्यामला हिल्स, भोपाल को समाचार के रूप में प्रसारनार्थ ।
3. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा सागर को प्रसारणार्थ ।
4. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. को सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (समस्त) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ अग्रेषित । स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ।
6. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (म.प्र.) को सूचनार्थ अग्रेषित ।



(आर.बी. राठौर)

सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
मध्यप्रदेश